

(5)

(6)

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१३

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रो. प्रमोद के. वसि
- 2. वर्तमान धारित पद महानिदेशक
- 3. वर्तमान वेतन 75,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 कोटि नगर इ-वॉर्ड रोड उज्जैन-म.प्र.	40x56 प्लॉट लाइज पर तीन कमरे का मकान	शून्य	लगभग ₹. 26.00 लाख	स्वयं के नाम से	स्वयं की संचित निधि से खरीदा	शून्य	
139, पार्सल मिडलस भौरी, भोपाल	-	1492 वर्ग फीट	लगभग ₹. 6.90 लाख	पतिव्याली की (पुत्री)	स्वयं तथा पत्नी की संचित निधि से	शून्य	
95, विष्णु एस्टेट लक्ष्मी बाग, भोपाल	30x50 प्लॉट लाइज पर तीन कमरे का मकान	शून्य	लगभग ₹. 50.00 लाख	पतिव्याली की (पत्नी)	वै. वृ. जी. पी. ए. से	शून्य	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Prasad K. V.  
 नाम प्रो. प्रमोद के. वसि  
 पद महानिदेशक